राजस्थान सरकार

## प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर ।

क्रमांक: एफ5(3)प्राशिनि/ई–2/2015–16/ 46859 दिनांक 29/9/15

प्रधानाचार्य,

.................................................

.................................................।

विषयः– **प्रथम वर्ष 2015–16 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्देश ।**

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान निदेशालय के पत्रांक 6902 दिनांक 19.06.2012 की ओर आकर्षित कर लेख है कि आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश जो विभागीय की वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही तदनुरूप शाखा परिवर्तन की कार्यवाही की जावे ।

शाखा परिवर्तन के इच्छुक छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित कर, संस्था स्तर पर एक समिति बनाकर नियमानुसार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी करें । इन आदेशों को निदेशालय को अनुमोदन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के दस दिन के अन्दर प्रस्तुत करें । निर्धारित तिथि/अवधि पश्चात् शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

**शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव केवल एक बार एवं संलग्न प्रारुप में ही भिजवाया जाना अनिवार्य है । अन्यथा इन प्रस्तावों पर निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।**

शाखा परिवर्तन योग्यता के आधार पर होगा । योग्यता सूची अभ्यार्थियों के प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं शाखा परिवर्तन हेतु योग्य माने जायेगें, जिन्होनें प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीर्ण किये हो । योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है, उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा ।

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भली–भांति उचित माध्यम से यह अवगत करवाया जावे कि एक बार शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने के पश्चात् आदेश निरस्त नहीं किया जायेगा । ध्यान रहे कि संस्था स्तर की समिति द्वारा अयोग्य विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन नहीं किया जावे । **संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा ।**

**यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवा दिया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा नई शाखा के अनुसार परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा । इस सम्बन्ध में विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी ।**

संलग्न :– एक

भवदीय,

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक: एफ5(3)प्राशिनि/ई–2/2015–16/ 46860-62 दिनांक 29/9/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
3. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय/निजी पोलिटेक्निक महाविद्यालय को ई–मेल भी करें।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

सत्र 2015--16 में शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों की शाखावार सूची
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः–......................................................................................................।

प्रारूप–1

**सत्र 2015–16 में शाखा परिवर्तन हेतु आवेदक समस्त विद्यार्थियों का विवरणः–**

| क0 सं0 | एस.पी.एन. नम्बर | अभ्यर्थी का नाम | प्रथम वर्ष | | | वर्तमान शाखा | चाही गई शाखा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्राप्तांक | अधिकतम अंक | प्रतिशत अंक | | |
| | | | | | | | |

प्रारूप–2

**सत्र 2015–16 में नियमानुसार शाखा परिवर्तन का विवरणः–**

| क0 सं0 | एस.पी.एन. नम्बर | अभ्यर्थी का नाम | प्रथम वर्ष के प्रतिशत अंक | वर्तमान शाखा | चाही गई शाखा |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

प्रारूप–3

**शाखा परिवर्तन के पश्चात् शाखावार विद्यार्थियों की स्थिति :–**

| क0 सं0 | शाखा | प्रवेश क्षमता | शाखा परिवर्तन से पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या | शाखा परिवर्तन के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि सभी आवेदन पत्रों की जॉच कर ली गई है। द्वितीय वर्ष में शाखा परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। शाखा परिवर्तन नियमानुसार किया गया है। सभी आवेदक विद्यार्थियों की डाउनलोडेड अंकतालिका संलग्न है।

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
समिति सदस्य

उक्त शाखा परिवर्तन निदेशालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं। प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तित शाखा में विद्यार्थियों को अध्ययन की अनुमति दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
(हस्ताक्षर मय सील)